पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं

6809 श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हज यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो किन सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है ;

(ग) क्या वे सुविधायें सिख यात्रियों को भी दी जाती हैं, जो पाकिस्तान में गुरुद्वारों में मनाये जाने वाले उत्सवों में भाग लेने के लिये पाकिस्तान जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, उन्हें क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां। हज यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(1) भारत सरकार प्रत्येक बालिग हज-यात्री को रु० 1575 के मूल्य की विदेशी मुद्रा का परमिट जारी करती है ।

(2) खाद्यान्न और चीनी कंट्रोल दरों पर तीर्थ यात्रियों को सप्लाई किए जाते हैं और सऊदी अरब में अपने वास के दौरान खाने-पीने के लिए वे इन वस्तुओं को एक निर्धारित मात्रा में ले जा सकते हैं ।

(3) हज के दौरान सऊदी अरब जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों को डाक्टरी सहायता देने के लिए सउदी अरब में एक चिकित्सा-मिशन नियुक्त किया जाता है ।

(4) तीर्थ यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे औषधालय खोले जाते हैं ।

(5) तीर्थ यात्रियों के पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था सउदी अरब में विभिन्न स्थानों पर शबीलें लगा कर की जाती हैं ।

(6) जेद्दा में भारतीय राजदूतावास के अधिकारी और कर्मचारी जेद्दा में तीर्थ यात्रियों की हरमुमकिन मदद करते हैं ।

(7) हाजियों के वापसी सफर के लिए टिकट जारी करने के लिए रेलवे के अधिकारी साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना, बम्बई में अस्थायी दफ्तर खोल देते हैं ।

(ग) और (घ). सरकार उन सिख तीर्थ यात्रियों के लिए भी अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करती है जो पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों में होने वाले उत्सवों में भाग लेने जाते हैं । इन सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पासपोर्ट शीघ्र जारी करना ।

(2) प्रत्येक तीर्थयात्री को रु० 100 के मूल्य की विदेशी मुद्रा जारी करना ।

India's Association with Commonwealth

6810. SHRI H. N. MUKERJEE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any provision in the Constitution which buttresses India's association with the Commonwealth and acceptance of the British Sovereign as its symbolic 'Head';

(b) whether there is any law, Constitutional or otherwise, which upholds the validity of India's membership of the Commonwealth; and

(c) whether without authoritative clarification of an apparently anomalous situation, serious constitutional issues and consequential practical problems are not apprehended?